

प्रेस नोट जनपद बागपत थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 17.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 535/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 535/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट:-उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 16-06-204 को अभियुक्तों 1.अब्दुल रहमान पुत्र मुजिम्मल निवास मौहल्ला मुगल गार्डन मंसूरी थाना मंसूरी जनपद गाजियाबाद व 2-इरसाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम मंवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र निसार निवासी ग्राम साकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री वृक्षपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





थाना कोतवाली बागपत दिनांक- 17.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 542/24 धारा 414 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 मोटरसाईकिल रॉयल इनफील्ड बिना नम्बर प्लेट बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों गिरफ्तारी हेत् चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 542/24 धारा 414 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 मोटरसाईकिल रॉयल इनफील्ड बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्नी पुत्र राजवीर निवासी ककौरकलां थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

01 मोटरसाईकिल रॉयल इनफील्ड बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेकडा

दिनाँक 17.06.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु<mark>0अ०सं० 164/2024</mark> धारा 352/307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.06.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी सोनू पुत्र ब्रजपाल निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा खेकड़ा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.अर्पित पुत्र प्रमोद, 2.सोनू, 3.दीपक पुत्र राकेश व 4.काला पुत्र ब्रहमपाल निवासीगण काशीराम कॉलोनी कस्बा खेकड़ा थाना खेकडा जनपद बागपत ने उसके भाई सचिन के साथ गाली-गलौज करते हुए चाकू से वार



कर घायल कर दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 164/24 धारा 352/307/504/ 506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 164/24 धारा 352/307/504/ 506 भादिव में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता

- 1-अर्पित पुत्र प्रमोद मूल निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत, हाल निवासी काशीराम कॉलोनी करूबा खेकड़ा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-दीपक पुत्र राकेश मूल निवासी ग्राम फखरपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत हाल निवासी काशीराम कॉलोनी करूबा खेकड़ा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 337 अमित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



दिनाँक- 17.06.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्चा, एक तास की गड्डी व 620 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक सट्टा पर्चा, एक तास की गड्डी व 620 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मवीर पुत्र भूलेराम निवासी करूबा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

• एक सट्टा पर्चा।

- एक तास की गड्डी।
- 620 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

